



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
नैनीताल।



☎ :05942 -235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitialpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-  
सेवा में,

2297 / 18 mg

दिनांक:- 01/08/18

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल, वन प्रभाग,  
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जिनोली-तड़ी- सकदीना मोटर मार्ग प्रस्ताव सं०  
FP/UK/ROAD /8286/2014।

संदर्भ:- नोडल अधिकारी देहरादून का ई०डी०एस० दिनांक 10.07.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित ई०डी०एस० का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा निम्नलिखित आपत्तियां लगायी गयी हैं, जिनका बिन्दुवार आख्या आन लाईन कर आपको निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

क्र०स०	बिन्दु	उत्तरालेख
1	Justification is not authenticated by DFO. Please upload justification at para -D (i) in form A. Part I authenticated by DFO.	आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	Provide separate component wise break up in B-2-4, as in following way:- a- Road. b- Muck dumping.	component wise breakup में पैरा बी. 2.4 पर Road and muck dumping का विवरण अंकित कर दिया गया है।
3	FRA is not uploaded, please upload FRA document with all annexure at section K in form A part-I.	आन लाईन फार्म-ए में पार्ट-1 के पैरा-के में अपलोड कर दिया गया है।
4	In para -E of online part 1. it is mentioned that permanent and temporary employment for 06 person and 4000 person respectively is likely to be generated with does not appears to be corrected.	आन लाईन फार्म-ए के पार्ट-1 के पैरा-ई में सही employment का विवरण अंकित कर दिया गया है।
5	Site suitability of CA. Mou. Ownership. Non encumbrance certificate is not uploaded at section L in form A Part-1	आन लाईन फार्म-ए में पार्ट-1 के पैरा-एल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का विवरण अपलोड कर दिया गया है।
6	Please upload land scheduled with compartment no including affected area at para 13 as additional information in form A Part-II	महोदय, इस बिन्दु पर फार्म-ए के पार्ट-2 के पैरा-13 में आख्या आपके स्तर से अंकित की जानी है।



7	NPV calculation detail has not been uploaded at para-13 in form A part II NPV calculation must be done according to filled density and Eco class at para -4(i) in form A Part-II	महोदय, इस बिन्दु पर फार्म-ए के पार्ट-2 में आख्या आपके स्तर से अंकित की जानी है।
8	Please provide area of each village and forest compartment in village wise breakup at para B-2.3 in form A Part-I	आन लाईन फार्म-ए के पार्ट-1 में पैरा बी- 2. 3 पर village wise breakup में एरिया अंकित कर दिया गया है।
9	Tree list in 9m width along with land schedule has not been uploaded as additional information in para 13 form A part II please rectify.	महोदय, इस बिन्दु पर फार्म-ए के पार्ट-2 में पैरा-13 पर आख्या आपके स्तर से अंकित की जानी है।
10	Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest ( in Km.) is not filled correctly at column 7 in form A Part-II.	महोदय, इस बिन्दु पर फार्म-ए के पार्ट-2 में कालम 7 पर आख्या आपके स्तर से अंकित की जानी है।
11	Working plan prescription is wrongly filled at SR No.-5 if part -II by DFO . Please rectify accordingly.	महोदय, आन लाईन फार्म-ए के पार्ट-2 में क्रम सं0-5 पर आख्या आपके स्तर से अंकित की जानी है।
12	CA scheme. CA sit suitability certificate is not uploaded in para -13 form A part II	महोदय, फार्म-ए के पार्ट-2 में पैरा-13 पर आख्या आपके स्तर से अंकित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय  
31/07/18  
(इं. धन सिंह कुटियाल)  
अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
नैनीताल

पत्रांक:-

प्रतिलिपि मा0 विधायक, नैनीताल विधान सभा क्षेत्र, नैनीताल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके ई0डी0एस0 दिनांक 10.7.2018 के क्रम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
नैनीताल